निर्णय न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट वजीरपुर जिला सवाई माधोपुर

पीठासीन अधिकारी सुधारानी मीना, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
364/2021	15.01.2021	२९/०१/२६

1. बनेसिंह पुत्र प्यारसिंह, जाट निवासी श्यारौली तह0 वजीरपुर
2 राजाराम पुत्र प्यारसिंह, जाट निवासी श्यारौली तह0 वजीरपुर
3. सोमसिंह पुत्र प्यारसिंह, जाट निवासी श्यारौली तह0 वजीरपुर ——वादीगण

बनाम

1. राजपाल पुत्र रामहेत, जाट निवासी श्यारौली तह0 वजीरपुर (मृतक)
1/1.लखनसिंह पुत्र स्व0 राजपाल, जाट निवासी श्यारौली तह0 वजीरपुर
1/2.अभयसिंह पुत्र स्व0 राजपाल, जाट निवासी श्यारौली तह0 वजीरपुर
1/3.सुगरसिंह पुत्र स्व0 राजपाल, जाट निवासी श्यारौली तह0 वजीरपुर
1/4.विमला पुत्री स्व0 राजपाल, जाट निवासी श्यारौली तह0 वजीरपुर
1/5.आशा पुत्री स्व0 राजपाल, जाट निवासी श्यारौली तह0 वजीरपुर
1/6.ममता पुत्री स्व0 राजपाल, जाट निवासी श्यारौली तह0 वजीरपुर
2. सरकार जरिए तहसीलदार वजीरपुर
3. पंजाब नेशनल बैंक शाखा गंगापुर सिटी जरिए प्रबन्धक
4. पंजाब नेशनल बैंक शाखा वजीरपुर जरिए प्रबन्धक
5. सिंडीकेट बैंक शाखा श्यारौली जरिए प्रबन्धक ——प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणां खातेदारी, विभाजन, स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :—श्री संजय शर्मा, एडवोकेट, वादीगण की ओर से
श्री रविकुमार यादव, प्रतिवादी सं0 1/1 से 1/6 की ओर से

निर्णय

वादीगण ने वादपत्र इस आशय का पेश किया कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 की सहखातेदारी भूमि साबिक ख0न0 229 रकबा 15 बीघा 14 बिस्वा, ख0न0 241 रकबा 2 बीघा, ख0न0 439 रकबा 2 बिस्वा गैर मुमकिन चाह, ख0न0 441 रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा, ख0न0 781 रकबा 6 बीघा 1 बिस्वा, ख0न0 782/1 रकबा 2 बिस्वा गैर मुमकिन चाह, ख0न0 782/2 रकबा 2 बिस्वा गैर मुमकिन चाह ख0न0 1018 रकबा 6 बीघा 5 बिस्वा, ख0न0 1063 रकबा 6 बीघा 4 [illegible] रकबा 39 बीघा 4 बिस्वा सुआ पुत्र मेडू हिस्सा 1/2, प्यारसिंह, राज[illegible] पुत्रान रामहेत हिस्सा 1/2 की खातेदारी मे दर्ज था। भूप्रबन्ध विभाग [illegible] सुआ पुत्र मेडी [illegible] को अलग कर दिया जिससे वादी को को[illegible] एतराज नही है लेकिन भूप्रबन्ध विभाग ने उनके हिस्से को भी उनके मौके पर हो रहे हिस्से के विपरित

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudha Rani Meena
Date: 2026.02.25 15:32:33 IST
Reason: SelfAttested

अलग अलग दर्ज कर दिया जबकि वादीगण एवं प्रतिवादीगण ने सेटिलमेन्ट से पहले ही अपने अपने हिस्से अलग कर लिये थे। भूप्रबन्ध विभाग वालों ने बिना किसी अधिकार के गलत रूप से वादीगण एवं प्रतिवादी के हिस्से की भूमि को मौके पर कब्जे के विपरित एक दूसरे के नाम दर्ज कर दिया। जिससे विवाद की स्थिति पैदा हो गई है। भूप्रबन्ध के दौरान भूमि ख0न0 1928 रकबा0.25 है0, ख0न0 1930 रकबा 0.42 है0, ख0न0 460 रकबा 2.83 है0, ख0न0 917 रकबा 0.36 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 3.86 है0 कायम किये है। तथा प्रतिवादी राजपाल के नाम ख0न0 1599 रकबा 0.51 है0, ख0न0 1602 रकबा 0.15 है0, ख0न0 1852 रकबा 0.64 है0, ख0न0 1934 रकबा 0.55 है0, ख0न0 377 रकबा 2.19 है0, ख0न0 396 रकबा 0.32 है0 कुल किता 6 कुल रकबा 4.36 है0 कायम किये है। प्रतिवादी का रकबा भी वादीगण के रकबे से अधिक दर्ज कर दिया गया है। वादीगण ने प्रतिवादी से दिनांक 2.1.21 को उक्त भूमि के विभाजन के लिए कहा तो प्रतिवादी ने अपनी सहमति व्यक्त नही की है। अतः दावा प्रस्तुत कर निवेदन है कि दावा वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी डिक्री फरमाया जाकर भूमि 1928 रकबा 0.25 है0, ख0न0 1930 रकबा 0.42 है0, ख0न0 460 रकबा 2.83 है0, ख0न0 917 रकबा 0.36 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 3.86 है0 को वादीगण के नाम से हजफ कर एवं भूमि ख0न0 1599 रकबा 0.51 है0, ख0न0 1602 रकबा 0.15 है0, ख0न0 1852 रकबा 0.64 है0, ख0न0 1934 रकबा 0.55 है0, ख0न0 377 रकबा 2.19 है0, ख0न0 396 रकबा 0.32 है0 कुल किता 6 कुल रकबा 4.36 है0 को प्रतिवादी राजपाल के नाम से हजफ कर उक्त समस्त भूमि का विभाजन मीट्स एंड बाउन्ड्स से मौके पर कब्जे अनुसार किया जावे तथा प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वह वादीगण के हिस्से मे आयी भूमि पर वादीगण के कब्जे काश्त मे कोई बाधा उत्पन्न नही करे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 5 बाबजूद सूचना उपस्थित नहीं हुए।

प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने जवाब मे वादीगण के दावे को स्वीकार किया है एवं वादीगण का दावा डिक्री किये जाने मे प्रतिवादी को कोई आपत्ति नही होना अंकित किया है।

वादपत्र के समर्थन मे वादीगण ने नकल जमाबंदी संवत 2073—2076 खाता संख्या 804, 541 ग्राम स्वरोली, शपथपत्र वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1, नकल मिलान क्षेत्रफल, नकल जमाबंदी संवत 2024—27, 2028—31प्रस्तुत किये है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudha Rani Meena
Date: 2026.02.25 15:32:33 IST
Reason: SelfAttested

जबाब के समर्थन मे प्रतिवादी ने कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किये है।

बहस विद्वान वकील वादीगण सुनी गई। वकील वादीगण ने प्रस्तुत वाद मे प्राथमिक डिक्री जारी कर मीट्स एंड बाउन्ड्स एवं मौके पर कब्जे अनुसार विभाजन स्कीम मंगवाने हेतु निवेदन किया है।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। नकल जमाबंदी संवत 2073–75 खाता संख्या 804 के अनुसार भूमि ख0न0 1599 रकबा 0.51 है0, ख0न0 1602 रकबा 0.15 है0, ख0न0 1852 रकबा 0.64 है0, ख0न0 1934 रकबा 0.55 है0, ख0न0 377 रकबा 2.19 है0, ख0न0 396 रकबा 0.32 है0 कुल किता 6 कुल रकबा 4.36 है0 प्रतिवादी राजपाल की खातेदारी मे दर्ज है एवं खाता संख्या 541 ग्राम श्यारौली के अनुसार वादग्रस्त भूमि 1928 रकबा 0.25 है0, ख0न0 1930 रकबा 0.42 है0, ख0न0 460 रकबा 2.83 है0, ख0न0 917 रकबा 0.36 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 3.86 है0 वादीगण की खातेदारी मे दर्ज है। जिसमे प्रत्येक वादी का 1/3–1/3 हिस्सा दर्ज है। वादीगण का कथन है कि भूप्रबन्ध विभाग द्वारा जो भूमि भूप्रबन्ध के दौरान वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के नाम अलग अलग दर्ज की गई है वह कम ज्यादा रकबे की दर्ज की गई है एवं पक्षकारों के मौके पर कब्जे के विपरीत खातेदारी मे दर्ज की गई है। इसलिए उपरोक्त वर्णित भूमि को एक खाते मे दर्ज की जाकर इसमे से 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 के नाम व शेष 1/2 हिस्सा वादीगण के नाम प्रत्येक का हिस्सा 1/3–1/3 अनुसार पृथक पृथक दर्ज किया जावें। इस सम्बन्ध में पक्षकारो की ओर से दिनांक 19.3.21 को लिखित एक शपथ पत्र भी पक्षकारों ने इस न्यायालय मे प्रस्तुत किया है। अतः प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत जबाब दावा एवं पक्षकारों की ओर से दिनांक 19.3.2021 को लिखित शपथ पत्र के अनुसार उपरोक्त वर्णित भूमि को वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 की खातेदारी से हजफ की जाकर उपरोक्त वर्णित समस्त भूमि का एक खाता संयुक्त रूप से कायम किया जाना एवं इसमे 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 का तथा शेष 1/2 हिस्सा वादीगण कादर्ज किया जाना उचित है। तत्पश्चात उपरोक्त वर्णित भूमि पक्षकारों के मध्य मौके पर कब्जे अनुसार एवं हिस्से अनुसार विभाजन किया जाना उचित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudha Rani Meena
Date: 2026.02.25 15:32:33 IST
Reason: SelfAttested

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार वर्णित भूमि ख0न0 1599 रकबा 0.51 है0, ख0न0 1602 रकबा 0.15 है0, ख0न0 1852 रकबा 0.64 है0, ख0न0 1934 रकबा 0.55 है0, ख0न0 377 रकबा 2.19 है0, ख0न0 396 रकबा 0.32 है0, ख0न0 1928 रकबा 0.25 है0, ख0न0 1930 रकबा 0.42 है0,

सत्यमेव जयते

ख0न0 460 रकबा 2.83 है0, ख0न0 917 रकबा 0.36 है0 ग्राम स्यारौली का प्रतिवादी संख्या 1 को 1/2 हिस्से का एवं वादी संख्या 1, 2, 3 को प्रत्येक को 1/6–1/6 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख मे इन्द्राज किये जावे, जिस पक्षकार के नाम जिस बैंक मे भूमि रहन का इन्द्राज है वह यथावत रहेगा तथा पूर्व मे उपरोक्त नम्बरों के बाबत दर्ज खातेदारी इन्द्राज हजफ किये जाते है। तत्पश्चात उपरोक्त वर्णित भूमि मे प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से 1/2, वादीगण संख्या 1, 2, 3 के हिस्से 1/6–1/6 के अनुसार एवं मौके पर कब्जे अनुसार भूमि की विभाजन स्कीम तैयार इस न्यायालय को भिजवाने हेतु तहसीलदार वजीरपुर को रू0 1000/– फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। तहसीलदार वजीरपुर को लिखा जावे कि वे उपरोक्त भूमि के मौके पर जाकर आदेशानुसार विभाजन स्कीन तैयार कर दो प्रतियो में मय नक्शा ट्रेस इस न्यायालय को भिजवावें। कमिश्नर फीस वादीगण द्वारा भुगतान की जावेगी। प्राथमिक डिक्री जारी की जावे।

निर्णय आज दिनांक [illegible] को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(सुधारानी मीना)
उप जिला कलक्टर
वजीरपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Sudha Rani Meena
Date: 2026.02.25 15:32:33 IST
Reason: SelfAttested

Judi/Civil
Part IV-10

डिकरी व मुकद्दमे इब्तदाई
(ऑर्डर 20, रूल 6—जाब्ता दीवानी)
(Civil Proceede Code, Appendix D-1)

अज अदालत उप जिलाकलक्टर मुकाम वजीरपुर
इजलास सुधारानी मीना, आर0ए0एस0

उनवान

1. बनेसिंह पुत्र प्यारसिंह, जाट निवासी श्यारौली तह0 वजीरपुर
2 राजाराम पुत्र प्यारसिंह, जाट निवासी श्यारौली तह0 वजीरपुर
3. सोमसिंह पुत्र प्यारसिंह, जाट निवासी श्यारौली तह0 वजीरपुर ——वादीगण

बनाम

1. राजपाल पुत्र रामहेत, जाट निवासी श्यारौली तह0 वजीरपुर (मृतक)
1/1.लखनसिंह पुत्र स्व0 राजपाल, जाट निवासी श्यारौली तह0 वजीरपुर
1/2.अभयसिंह पुत्र स्व0 राजपाल, जाट निवासी श्यारौली तह0 वजीरपुर
1/3.सुगरसिंह पुत्र स्व0 राजपाल, जाट निवासी श्यारौली तह0 वजीरपुर
1/4.विमला पुत्री स्व0 राजपाल, जाट निवासी श्यारौली तह0 वजीरपुर
1/5.आशा पुत्री स्व0 राजपाल, जाट निवासी श्यारौली तह0 वजीरपुर
1/6.ममता पुत्री स्व0 राजपाल, जाट निवासी श्यारौली तह0 वजीरपुर
2. सरकार जरिए तहसीलदार वजीरपुर
3. पंजाब नेशनल बैंक शाखा गंगापुर सिटी जरिए प्रबन्धक
4. पंजाब नेशनल बैंक शाखा वजीरपुर जरिए प्रबन्धक
5. सिंडीकेट बैंक शाखा श्यारौली जरिए प्रबन्धक ——प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणां खातेदारी, विभाजन, स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नं. —364/2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनफियाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी श्री संजय शर्मा, एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई श्री रविकुमार यादव, एडवोकेट मुद्दायलह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादग्रस्त भूमि ख0न0 1599 रकबा 0.51 है0, ख0न0 1602 रकबा 0.15 है0, ख0न0 1852 रकबा 0.64 है0, ख0न0 1934 रकबा 0.55 है0, ख0न0 377 रकबा 2.19 है0, ख0न0 396 रकबा 0.32 है0, ख0न0 1928 रकबा 0.25 है0, ख0न0 1930 रकबा 0.42 है0, ख0न0 460 रकबा 2.83 है0, ख0न0 917 रकबा 0.36 है0 ग्राम श्यारौली का प्रतिवादी संख्या 1 को 1/2 हिस्से का एवं वादी संख्या 1, 2, 3 को प्रत्येक को 1—1/6 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख मे इन्द्राज किये जावे, जिस पक्षकार के नाम जिस बैंक मे भूमि रहन का इन्द्राज है वह यथावत रहेगा तथा पूर्व मे उपरोक्त नम्बरों के बाबत दर्ज खातेदारी इन्द्राज

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudha Rani Meena
Date: 2026.02.25 15:32:33 IST
Reason: SelfAttested

हजफ किये जाते है। तत्पश्चात उपरोक्त वर्णित भूमि मे प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से 1/2, वादीगण संख्या 1, 2, 3 के हिस्से 1/6–1/6 के अनुसार एवं मौके पर कब्जे अनुसार भूमि की विभाजन स्कीम तैयार इस न्यायालय को भिजवाने हेतु तहसीलदार वजीरपुर को रू0 1000/– फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। तहसीलदार वजीरपुर को लिखा जावे कि वे उपरोक्त भूमि के मौके पर जाकर आदेशानुसार विभाजन स्कीम तैयार कर दो प्रतियो में मय नक्शा ट्रेस इस न्यायालय को भिजवावें। कमिश्नर फीस वादीगण द्वारा भुगतान की जावेगी।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 29/01/26 को जारी किया गया।

उप जिला कलेक्टर
वजीरपुर (गंगापुर सिटी)

(सुधारानी मीणा)
उप जिला कलक्टर
वजीरपुर

मुद्दई	रूपया	पैसा	मुद्दायलह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा					
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प पर्ची		
महनताना वकील			महनतानावकील पर		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत इजराय			बाबत इजराय		
हुक्मनामा			हुक्मनामा		
मुतफर्रिक			मुतफर्रिक		
मीजान			मीजान		

सत्यमेव जयते
वजीरपुर (स0मा0)

उप जिला कलेक्टर
वजीरपुर (गंगापुर सिटी)

(सुधारानी मीणा)
उप जिला कलक्टर
वजीरपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Sudha Rani Meena
Date: 2026.02.25 15:32:33 IST
Reason: SelfAttested